

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

-::आदेश::-

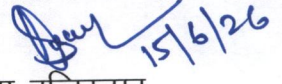
क्रमांक 596/दो-11-14/17

नर्मदापुरम, दिनांक 15.06.2026

श्रीमती कंचना पवार, प्रस्तुतकार न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड नर्मदापुरम का ग्रीष्मकालीन अवकाश की निरंतरता में दिनांक 06.06.2026 से 10.06.2026 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में 184 दिवस का स्वत्व शेष है।

- 1- उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा।
- 2- अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

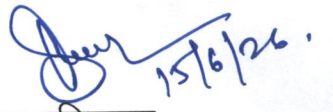

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 2508 /दो-11-14/17

नर्मदापुरम, दिनांक 15.06.2026
16

यथाआदेश प्रतिलिपि:-

01. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं श्रीमती कंचना पवार, प्रस्तुतकार को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।


जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)